न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 142/2022

वादी :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1 कैलाशचन्द सांखला पुत्र गोपाराम जाति माली निवासी– बेरा रेतिया, बिलाड़िया गेट के बाहर, सोजत सिटी, तहसील– सोजत, जिला– पाली।		01. उम्मेदराम पुत्र गोपाराम जाति माली निवासी– बेरा बालूजी का रेतिया सोजतसिटी, तहसील सोजत, जिला– पाली। 02. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

उपस्थितिः—

1. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. श्री कुंदनमल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित।
3. तहसीलदार सोजत प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक – 04/04/24

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम पटवार हल्का सोजत प्रथम तहसील सोजत में वादी की कब्जासुदा कृषि भूमि रिवाईज्ड सैटलमेन्ट के वर्तमान खसरा नम्बर 292 लगायत 305, 307 लगायत 309, 311 लगायत 317, 325, 328 लगायत 338, 456, 466, 467 कुल खसरा 40 कुल रकबा 99.200 हैक्टर की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। वादस्थ आराजीयात की कृषि भूमि वादी की हक, हकूक, खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि है । वादी के पिता गोपाराम का स्वर्गवास दिनांक 17.08.2020 को हो चुका है तथा वादी के पिता ने अपने जीवनकाल में उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि वादी तथा प्रतिवादी संख्या एक सोहनलाल के नाम खातेदारी दर्ज करवाते समय वादी के घर के लाड प्यार का नाम मुन्नालाल पुत्र गोपाराम माली अंकित करवा दिया, जबकि वादी का वास्तविक नाम कैलाशचन्द पुत्र गोपाराम है। वादी के शैक्षणिक दस्तावेजात तथा पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, चालक अनुज्ञा पत्र तथा वादी की अन्य कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड तथा रजिस्टर्ड बेचान रजिस्ट्री में वादी का नाम कैलाशचन्द पुत्र गोपाराम दर्जशुदा है। जिन तमाम दस्तावेजों की प्रतियां वाद पत्र के साथ संलग्न की गई है। वादी के पिता गोपाराम के मुन्नालाल के नाम से किसी प्रकार की कोई संतान नहीं है, गोपाराम के कैलाशचन्द उर्फ मुन्नालाल, सोहनलाल, उम्मेदाराम व राजेश ही है। इसके अलावा अन्य कोई विधिक उतराधिकारी नहीं है। मुन्नालाल पुत्र गोपाराम एवं कैलाशचन्द पुत्र गोपाराम दोनों एक ही व्यक्ति है जो अलग अलग व्यक्ति नहीं है। राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी संवत् 2042–2045 तैयार करते समय वादी के पिता गोपराम के द्वारा वादी के लाड प्यार का नाम मुन्नालाल पुत्र गोपाराम दर्ज करवा दिया गया जबकि वादी का नाम मुन्नालाल नहीं होकर कैलाशचन्द है इसलिए राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम त्रुटि एवं गलती से वादी का वास्तविक

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

नाम कैलाशचन्द के स्थान पर मुन्नालाल पुत्र गोपाराम अंकित हो गया जबकि वादी का वास्तविक एवं रेकर्डेड नाम कैलाशचन्द है। वादग्रस्थ कृषि भूमि के मौके पर वादी का ही कब्जा काश्त है तथा वादी ही उपरोक्त वादग्रस्थ कषि भूमि का उपयोग, उपभोग बिना किसी बाधा के शाश्वत रूप से करता आ रहा है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद पेश कर सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम पटवार हल्का सोजत प्रथम तहसील सोजत में वादी की कब्जासुदा कृषि भूमि रिवाईज्ड सैटलमेन्ट के वर्तमान खसरा नम्बर 292 लगायत 305, 307 लगायत 309, 311 लगायत 317, 325, 328 लगायत 338, 456, 466, 467 कुल खसरा 40 कुल रकबा 99.200 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में मुन्नालाल पुत्र गोपाराम के स्थान पर कैलाशचन्द पुत्र गोपाराम जाति माली को खातेदार घोषित कर राजस्व रेकर्ड में मुन्नालाल पुत्र गोपाराम दुरूस्त कर कैलाशचन्द पुत्र गोपाराम दुरूस्त इन्द्राज किया जाकर वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किए जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मन वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री कुंदनमल ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी बार–बार अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब दावा पेश करने पर जवाबदावा दिनांक 09.04.2024 को बंद किया गया।

अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत जमाबंदी पटवार हल्का सोजत चक प्रथम की वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, बख्शीशनामे की प्रति, वर्तमान जमाबंदी सोजत चक द्वितीय की प्रति उम्मेदराम, कैलाशचन्द के वर्तमान बिजली बिल की प्रति, कैलाशचन्द के इंकम टैक्स रिटर्न की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, खसरा मिलान की प्रमाणित प्रतियां पेश की।

अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य वादी में वादी कैलाशचन्द का मुख्य परीक्षण में वादी का शपथ पत्र पेश किया तथा बयान पीडब्ल्यू 01 लेखबद्ध करवाए। बयान पीडब्ल्यू 01 दस्तावेज वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074–2077 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी01, खसरा मिलान की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी02, जमाबंदी संवत् 2042 से 2045 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी03 प्रदर्शित करवाए।

बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम पटवार हल्का सोजत प्रथम तहसील सोजत में वादी की कब्जासुदा कृषि भूमि रिवाईज्ड सैटलमेन्ट के वर्तमान खसरा नम्बर 292 लगायत 305, 307 लगायत 309, 311 लगायत 317, 325, 328 लगायत 338, 456, 466, 467 कुल खसरा 40 कुल रकबा 99.200 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में मुन्नलाल पुत्र गोपाराम के स्थान पर कैलाशचन्द पुत्र गोपाराम जाति माली को खातेदार घोषित कर राजस्व रेकर्ड में मुन्नालाल पुत्र गोपाराम दुरूस्त कर कैलाशचन्द पुत्र गोपाराम किया जाकर वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किए जाने की ईश्तदुआ की है। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत तथा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 ने भी कोई आपति नही होना जाहिर किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात साक्ष्य सबूत बतौर प्रस्तुत शपथ पत्रों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी का अन्य राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 में अंकित नामा0 संख्या 3150 दिनांक 11.02.2015 में गोपाराम जी के विधिक वारिसान में कैलाश चन्द पुत्र गोपाराम अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त दस्तावेजी

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

साक्ष्य यथा बेचान पंजीयन दस्तावेज, इनकम टेक्स इत्यादि मे वादी का नाम कैलाश चन्द पुत्र गोपाराम दर्ज सुदा है। जिससे अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित तथ्यों की शपथ पत्रों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से संपुष्टि होने से स्वीकार किया जाना तथा सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम पटवार हल्का सोजत प्रथम तहसील सोजत में वादी की कब्जासुदा कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 292 लगायत 305, 307 लगायत 309, 311 लगायत 317, 325, 328 लगायत 338, 456, 466, 467 कुल खसरा 40 कुल रकबा 99.200 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में मुन्नालाल पुत्र गोपाराम के स्थान पर कैलाशचन्द पुत्र गोपाराम मालीके नाम से रेकर्ड दुरूस्त दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः माफिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर सादिर की जाती है कि अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम पटवार हल्का सोजत प्रथम तहसील सोजत में वादी की कब्जासुदा कृषि भूमि रिवाईज्ड सैटलमेन्ट के वर्तमान खसरा नम्बर 292 लगायत 305, 307 लगायत 309, 311 लगायत 317, 325, 328 लगायत 338, 456, 466, 467 कुल खसरा 40 कुल रकबा 99.200 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में मुन्नालाल पुत्र गोपाराम के स्थान पर कैलाशचन्द पुत्र गोपाराम जाति माली के नाम से दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 05/05/05..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली